S.R.-II
MZN
12159

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 688965

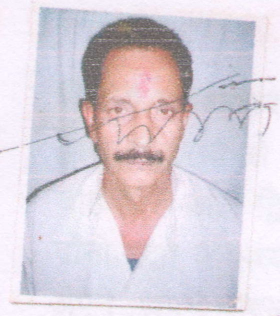

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
ARMED FORCES FLAG DAY

किराया नामा / LEASE- DEED

स्टाम्प शुल्क...600 / — रूपये

किराया...5,000 / — रूपये प्रति वर्ष

अवधि...25 वर्ष

हमकि श्री तिरेन्द्र (AA-768014007859) व दुष्यन्तसिंह (AA-626969803804) पुत्रगण श्री प्रहलादसिंह व विश्वजीत (AA-222[illegible]61859242) पुत्र श्री तेजन्दर सिंह निवासीगण ग्राम बहेडी परगना चरथावल तहसील व जिला मुजफ्फरनगर **प्रथम पक्ष (सम्पत्ति स्वामी)** व **श्रीमती बीरमति** पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी मौहल्ला अंकित विहार मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 772703

(2)

द्वितीय पक्ष (किरायेदार) है। जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित का मालिक द्वारा विरासत से है तथा प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर उठाना चाहता है और द्वितीय पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर लेना चाहता है। दोंनो पक्षो के मध्य निम्नलिखित शर्ते तय पायी है, जिनसे दोनो पक्ष स्वंय को तथा अपने–अपने वारसान पाबन्द करते है

1:– यह कि प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित **अंकन 5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये प्रति वर्ष)** द्वितीय पक्ष को किराये पर दी है और द्वितीय पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित अंकन **5,000/– रूपये प्रति वर्ष** प्रथम पक्ष से किराये पर ली है और बतौर किरायेदार कब्जा द्वितीय पक्ष का मौके पर करा दिया है।

2:– यह कि मियाद किरायेदारी पच्चीस वर्ष तक की तय पायी है जो दिनांक **15–12–2018ई0** से प्रारम्भ होकर दिनांक **14–12–2043 ई0** को समाप्त होगी।

3:– यह कि द्वितीय पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित को व्यापार (पैट्रोल पम्प इत्यादि) करने हेतु उपयोग मे लायेगे कोई भी नाजायज व्यापार किसी भी प्रकार का नही करेंगें तथा कोई मेजर अलट्रेशन नही करेंगे।

Dushyant Tyagi Vishwajeet Tyagi

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अधिकृत अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 772704

(3)

4:– यह कि द्वितीय पक्ष हर वर्ष पश्चात् प्रथम पक्ष को किराये की वार्षिक धनराशी अंकन 5,000/– रूपये अदा करके रसीद प्राप्त करेंगे बिना रसीद कोई अदायगी मान्य नही होगी।

5:–यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा लगातार दो वर्ष तक किराया प्रथम पक्ष को अदा न करने की दशा मे द्वितीय पक्ष काबिले बेदखली होगा और ऐसी दशा मे प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि सम्पत्ति निम्नलिखित द्वितीय पक्ष के कब्जे व अधिकार से खाली करा लें।

6:– यह कि द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित सम्पत्ति किसी भी वित्तीय संस्था या एन0 जी0 टी0 या किसी सरकारी या गैरसरकारी संस्था में किसी भी अनुमति या किसी तहरीर इत्यादि की आवश्यकता पडती है तो प्रथम पक्ष भी उसके लिए पूर्णतया पाबन्द होगा और प्रथम पक्ष की ओर ही द्वितीय पक्ष उक्त अनुमति सम्बन्धित संस्था को देना का पाबन्द होगा तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिकमी किरोयदार रख सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सब लीज करने का अधिकारी होगा इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी।

Dushyant Tyagi Vishwajeet Tyagi Beena

अमोल ... (...ngle)
अधि...कारी (रिटेल)
...टल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कुमार ...विनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 772705

(4)

7:– यह कि किरायेदारी अवधि के दौरान हाऊस टैक्स व वाटर टैक्स एवं अन्य कोई टैक्स जो टाऊन ऐरिया इत्यादि की अदायगी की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष के जिम्मे होगी।

8:–यह कि किरायेदारी की अवधि के दौरान लिपाई, पुताई व अन्य जरूरी मरम्मत व निर्माण इत्यादि द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से कराने का जिम्मेदार होगा।

9:–यह कि मियाद समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष के लिये लाजिग होगा कि सम्पत्ति निम्नलिखित को अपने कब्जे से खाली करके उसी शक्ल मे जैसे आज प्राप्त की है प्रथम पक्ष को वास्तविक कब्जे व अधिकार मे दे देगा एवं दोनो पक्षो को अधिकार होगा कि वह आपसी सहमति से किरायेदारी की अवधि बढा सकते है तथा पैट्रोल पम्प स्वीकृत होने पर किराये के विषय में पुर्नविचार करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

10:– यह कि उपरोक्त शर्ते दोनो पक्ष व वारसान पक्षगण पूर्णतया पाबन्द है और रहेंगे।

अमोल (Amol Ingle)
अधिकारी (रिटेल)
रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ (उ०प्र०)

कुमार अभिनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ०प्र०)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 772706

(5)

11:– यह कि प्रथम पक्ष किराये की धनराशि कों प्रांप्त करके मुख्तारेआम उपरोक्त को अदा करने का पाबन्द होगा।

अतः यह किरायानामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और काम आवे।इति।

विवरण सम्पत्ति स्थित :– **ग्राम बेगमपुर** परगना चरथावल तहसील व जिला मुजफ्फरनगर जो कि एक आहाता घिरा हुया है। जिसकी आराजी तहती की पैमाईश पूरब **35** मीटर पश्चिम **35** मीटर उत्तर **35** मीटर व दक्षिण **35** मीटर जुमला क्षेत्रफल **1225** वर्गमीटर है। जिसकी सीमाए पूरब मे रास्ता जी0 टी0 रोड पश्चिम मे सम्पत्ति प्रथम पक्ष, उत्तर मे सम्पत्ति भूषण आदि रोहानाखुर्द वालें, दक्षिण मे सम्पत्ति प्रथम पक्ष है। जो खसरा नम्बर **128** में स्थित है। जिसकी धारा 143 श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा वाद संख्या 20/06–07 में आदेश

अमोल इंगले (Amol Ingle)
अभियांत्रिकी अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ (उ0प्र0)

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28AA 772707

(6)

दिनांक 05–12–2006ई0 को अकृषिक घोषित हो चुकी है। मय जुमला हक व हकूक।

Dushyant tyagi Vishwajeet tyagi

साक्षी.................. साक्षी..................

मनीष कुमार
S/o जसबीर सिंह
ग्राम-कासिमपुरा

अमरीश कुमार
अनूप सिंह
करनपाल

अमोल इंगले
अभियन्ता अधिकारी (रिटेल)
मेरठ रि[illegible]
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
[illegible]

तहरीर तारीख :– 15–12–2018 ई0

ड्राफ्टकर्ता :– राहुल जिन्दल एडवोकेट चैम्बर नम्बर एफ0–105 तहसील सदर मुजफ्फरनगर।